

**FORM NO. III**


फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर  
उनवान साबिर हुसैन बनाम एस.एच.ओ. गालाखेड़ा (अलवर)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा०पत्र नम्बर 15/23/2025 दायर दिनांक 01.04.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की वहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-40-GA-1539 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, अलवर से अभिशंषा/ टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1623 दिनांक 25.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को श्रीमान के द्वारा नियमानुसार सुपुर्दगी दी जाती है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी कोतवाली अलवर को जप्तशुदा वाहन ट्रक अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-40-GA-1539 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दपतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	